भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671575

09 MAY 2007

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना	:-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम	:-	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)	:-	खसरा नम्बर 63
मापन की इकाई	:-	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	0.1450 हैक्टेयर
सडक की स्थिति	:-	नही है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 671576

(03) कोषाधिकारी 03 MAY 2007

सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेडो का मूल्यांकन:-	नही है
बोरिंग/कुंआ/अन्य:-	नही है
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:-	नही है
प्रतिफल की धनराशि:-	1,82,000/-रूपये
मालियत:-	1,81,250/-रूपये
निर्धारित दर:-	12,50,000/-रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्क:-	18,200/-रूपये
किस्म जमीन:-	अव्वल आबी

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नही है।

8 स्टाम्प विक्रय की तिथि 8-5-07
स्टाम्प की क्रमांक ...
क्रमिक नम्बर ...7... किया गया।

नरेन्द्र कुमार वर्मा (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं- 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

182,000.00/	182,000.00	3,640.00	20	3,660.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति ...	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती मौ0 उमर
पुत्र / पत्नी श्री इस्माईल
पेशा कृषि
निवासी स्थायी शेरनगर मु0 नगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/5/2007 समय 2:34PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
8/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती मौ0 उमर
पुत्र/पत्नी श्री इस्माईल
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0 नगर

श्री/श्रीमती बालाजीकन्सटक्शन मु0 नगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल
पुत्र/पत्नी श्री मायारामअग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी 200 ... कुन्ज कालोनी रोहिणी दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री मुनसेद
पुत्र श्री अब्दुल रशीद
पेशा कृषि
निवासी सूजडू मु0 नगर
व श्री जब्बार
पुत्र श्री नत्थू
पेशा अन्य
निवासी शेरनगर मु0 नगर
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
8/5/2007

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 671671

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

1-मौहम्मद उमर पुत्र श्री इस्माईल निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

1-श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली व्यवसाय:- व्यापार

हम कि **मौहम्मद उमर** पुत्र श्री इस्माईल निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व **श्री**

9 स्टाम्प विक्रय की तिथि 8-5-07
स्टाम्प की धनराशि 5000
शामिल नम्बर 2 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

विक्रेता

Registration No.: 4847 Year: 2007 Book No.: 1

0101 मौ0 उमर
इस्माईल
शेरनगर मु0 नगर
कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 934964

(03) कोषागार

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल मे व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **एक लाख बैयास्सी हजार रूपये**

नं0 (5) स्टाम्प रु0 3200/-

स्टाम्प खरीदा ... नाम श्री [illegible]

पुत्र श्री ... निवासी [illegible]

दिनांक ... द्वारा [illegible]

8-5-07

कृते वरिष्ठ कोषाधिकारी
कोषागार, मुजफ्फरनगर

100x3 = 3000
100x2 = 200
3200

क्रेता

Registration No.: 4847 Year: 2007 Book No.: 1

0201 बालाजीकन्सटरक्शन मु0 नगर द्वारा पार्टनर रुपेश कुमार मित्तल
मायाराम अग्रवाल
200 अशोका कुंज कालोनी रोहिणी दिल्ली
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 934965

(03) कोषागार

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

(1,82,000/- **रूपये)** निस्फ जिसके अंकन इक्कीयानबे हजार रूपये (91,000/-रूपये) होते है बदस्त **श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर** द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा चैक नम्बरी 310253 विजया बैंक मुजफ्फरनगर दिनांक 08-05-2007ई0 प्राप्त कर लिये है। अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 934966

(03) कोषागार

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि मे कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नही है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(03) कोषागार

06 MAY 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341722

5720/–रूपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन **1,82,000/– रूपये** में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नही है विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 1,81,250/- रूपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह **विक्रय** पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 63 रकबई 0.1450 है0**, लगान सालाना 7-15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(03) कोषागार

08 MAY 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341723

रूपये किस्म जमीन जंगल अव्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:-08-05-2007 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

326

आज दिनांक **08/05/2007** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **3514**

पृष्ठ सं. **307** से **326** पर क्रमांक **4847**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

अशोक कटारिया

8/5/2007